निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 08/2022
दायरा दिनांकः–18.01.2022
निर्णय दिनांकः– 24.7.24

उनवान

1. संग्राम सिंह पुत्र रामनाथ आयु 55 वर्ष जाति मीना निवासी ग्राम भीलवाडानीचा तहसील छबडा जिला बारां राज. हाल मुकाम इन्दिरा कॉलोनी छबडा

बनाम

1. राजु
2. राकेश
3. मेघराज पिसरान बन्शीलाल (मृतक) जातियान मीना निवासी ग्राम सेमली तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
4. साबुलाल पुत्र बिहारी लाल जाति मीना निवासी ग्राम सेमली तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां राज0

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आर0 टी0 एक्ट0
निर्णय दिनांकः– 24.7.24
अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री जितेन्द्र कुमार – वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी. ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वादी एवं प्रतिवादीगण कि खातेदारी एवं कब्जे काश्ते में कृषि भूमि खाता संख्या नई 165 पुरानी 153 खसरा नम्बर 311/716 रकबा 15 बीघा ग्राम सेमली तहसील छबडा में है। उक्त कृषि आराजी पूर्व में साबु लाल एवं बन्शीलाल पिसरान बिहारी लाल जातियान मीना निवासी सेमली तहसील छबडा प्रत्येक हिस्सा 1/2 दर्ज थी। प्रतिवादीगण 1 ता 3 के पिता बन्शीलाल ने अपने हिस्से की आराजी में से 4 बीघा भूमि जो कि उक्त कृषि आराजी के मध्य से पूर्व दिशा कि ओर ग्राम मोरेली के कांकड के सहारे मुन्नी पत्नि ताराचन्द सोनी के खेत के सहारे स्थित है। जो जयें रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.05.220 को विधिक आवश्यकता वश विक्रय कर कब्जा क्रेता वादी को सुपुर्द कर दिया गया। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण संख्या 756 दिनांक 21.07.2020 वादी का हिस्सा कुल भूमि में से 4/15 हिस्सा दर्ज हो गया। यादी उक्त भूमि को विकसित करना चाहता है किन्तु शामिल खातेदारी होने की वजह से विकसित नही कर पा रहा है। वादी ने कई बार प्रतिवादीगण से बंटवारा कराने बाबत् निवेदन किया किन्तु प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहे। सभी सहखातेदारान मौके पर हिस्सानुसार अपने–अपने हिस्से पर काबिज है। वादी का हिस्सा उक्त कृषि आराजी के मध्य से पूर्व कि ओर ग्राम मोरेली के

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

कांकड के सहारे मुन्नी पत्नि ताराचन्द सोनी के खेत के सहारे 4 बीघा स्थित है। मामला चुकि रेवेन्यू लैण्ड के बंटवारे का है जिसमें राजस्थान सरकार आवश्यक पक्षकार है। तथा वादी द्वारा नोटिस US79-80- CG जयें रजिस्टर्ड एडी राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा को दिनांक 18.01.2022 को प्रेषित किया गया किन्तु उनके द्वारा कोई कार्यवाही नही की तथा दिनांक 19.01.2022 को प्रतिवादीगण से बटवारा बाबत् निवेदन किया तो उन्होने बटवारे से साफ इन्कार कर दिया लिहाजा वादी के पास न्यायालय श्रीमान के समक्ष वाद बाबत् बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत करने के सिवाय कोई रास्ता शेष नही रहा है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम सेमली सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 165 नकल विक्रय पत्र दिनांक 27.05.2020 बंशीलाल पुत्र बिहारी मीना द्वारा, संग्राम सिंह को 1/2 हिस्सा में से 4 बीघा भूमि बेचान की गई। पेश किया गया।

बहस अभिभाषक वादी सूनी गई बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम सेमली तहसील छबडा में स्थित है। विवादित आराजी में साबुलाल एवं बंशीलाल आत्मज बिहारी लाल जाति मीना प्रत्येक का 1/2, 1/2 दर्ज था। प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के पिता बंशीलाल ने अपने हिस्से में से 4 बीघा भूमि जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.05.2020 से क्रेता वादी संग्राम सिंह को बेचान कर दी थी वादी क्रय की गई भूमि का पृथक–पृथक विभाजन कराना चाहता है सहखातेदार मौके पर अपने–अपने हिस्से पर काबिज है वादी का हिस्सा उक्त कृषि आराजी के मध्य से पूर्व की ओर ग्राम मोरेली के कांकड के सहारे श्रीमति मुन्नी पत्नि ताराचन्द सोनी के खेत के सहारे 4 बीघा स्थित है जिसे वादी विभाजन कराना चाहता है वादी का वाद स्वीकार किया जावे।

बहस अभिभाषक वादी सूनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी ग्राम सेमली सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 165 में साबूलाल, बंशीलाल पुत्र बिहारी कोम मीना का नाम दर्ज रिकार्ड है जमाबन्दी का कॉलम संख्या 11 से 17 में नामान्तरण संख्या 756 दिनांक 21.07. 2020 से जयें रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बंशीलाल हिस्सा 1/2 के स्थान पर संग्राम सिंह पुत्र रामनाथ हिस्सा 4/15 जाति मीना सा०देह भीलवाडा नीचा बंशीलाल पुत्र बिहारी हिस्स 7/30 जाति मीना सा०देह दर्ज होने का नोट अंकित है नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.05.2020 के अनुसार बंशीलाल पुत्र बिहारी जाति मीना द्वारा अपने हिस्सा 1/2 में से 4 बीघा भूमि का बेचान किया जाना पाया जाता है। वादी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि क्रय की गई है जिसे पृथक–पृथक विभाजन कराना चाहता है वादी हिस्से एवं कब्जे अनुसार विभाजन चाहता है वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम सेमली तहसील छबडा के खसरा नम्बर 311/716 रकबा 15 बीघा भूमि में वादी का हिस्सा 4/15 अच्छी मे से अच्छी एवं बुरी में से बुरी/मौके पर कब्जे अनुसार रास्ते को ध्यान में रखतें हुए पृथक–पृथक विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार छबडा को आदेशित किया जाता है। तद्नुसार प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 08 / 2022	धारा 53,188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनाक – 24.07.2024
समक्ष : **श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां**		
उपस्थिति :अभिभाषकवादी –श्री जितेन्द्र कुमार–वादी		अभिभाषक प्रतिवादी –श्री

वाद शीर्षक

उनवान

1. संग्राम सिंह पुत्र रामनाथ आयु 55 वर्ष जाति मीना निवासी ग्राम भीलवाडानीचा तहसील छबडा जिला बारां राज. हाल मुकाम इन्दिरा कॉलोनी छबडा

बनाम

1. राजु
2. राकेश
3. मेघराज पिसरान बन्शीलाल (मृतक) जातियान मीना निवासी ग्राम सेमली तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
4. साबुलाल पुत्र बिहारी लाल जाति मीना निवासी ग्राम सेमली तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां राज0

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम सेमली तहसील छबडा के खसरा नम्बर 311 / 716 रकबा 15 बीघा भूमि में वादी का हिस्सा 4 / 15 अच्छी मे से अच्छी एवं बुरी में से बुरी मौके पर कब्जे अनुसार रास्ते को ध्यान में रखते हुए पृथक–पृथक विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार छबडा को आदेशित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक **24.07.2024** को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबडा जिला बारां

क्र.सं.	व्यय मद	व्ययानुतोष वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र / लिखित कथन		
2	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	फीसकमिश्नर		
8	अन्य / क्षतिपूर्ति		
9	ब्याज ( )		
10	योग		

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां (राज0)

अन्तिम डिक्री

वाद संख्या 08/2022	धारा अन्तर्गत 53,188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक : 29.1.25
समक्ष : श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादीः–श्री जितेन्द्र कुमार	अभिभाषक प्रतिवादीः–	

वाद शीर्षक

उनवान

1. संग्राम सिंह पुत्र रामनाथ आयु 55 वर्ष जाति मीना निवासी ग्राम भीलवाडानीचा तहसील छबडा जिला बारां राज. हाल मुकाम इन्दिरा कॉलोनी छबडा

बनाम

1. राजु
2. राकेश
3. मेघराज पिसरान बन्शीलाल (मृतक) जातियान मीना निवासी ग्राम सेमली तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
4. साबुलाल पुत्र बिहारी लाल जाति मीना निवासी ग्राम सेमली तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां राज0

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है किः–

विवादित आराजी वाके ग्राम सेमली तहसील छबडा का पक्षकारान के मध्य पृथक–पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता है।

नाम खातेदार	ख0 नं0	रकबा	लगान	दिशा
1. संग्राम सिंह पुत्र रामनाथ जाति मीना सा0 देह भीलवाडानीचा हिस्सा पूर्ण	724/311	1.0117	2.49	
	किता 1	1.0117 है0	–	–
2. राजू,राकेश,मेघराज, पुत्र बंशीलाल हिस्सा 7/22 जाति मीना सा0देह साबूलाल पुत्र बिहारी हिस्सा 15/22 जाति मीना रहन CBI शाखा छबडा	311/715	2.7822	6.81	
	किता 1	2.7822 है0	–	–

उपरोक्तनुसासर विवादित आराजी पक्षकारान के मध्य पृथक–पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार छबडा को आदेशित किया जात है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 29.1.25 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

		व्ययानुतोष	
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		